मुख्यमंत्री ने कहा- एआई मिशन को गति देगा यूपी डाटा सेंटर

डाटा सेंटर क्लस्टर से 1.5 लाख को नौकरी

समीक्षा

05 गीगावॉट एआई कंप्यूट कॉरिडोर विकसित करने का लक्ष्य, लखनऊ एआई सिटी के रूप में विकसित होगा

- यूपी बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक केंद्र
- देश के लगभग सभी प्रमुख फाइबर नेटवर्क यूपी से गुजरते हैं, आदर्श इंफ्रास्ट्रक्चर हब है

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी डाटा सेंटर क्लस्टर (यूपीडीसीसी) की समीक्षा करते हुए कहा कि यह परियोजना यूपी के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। डाटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। इसकी शुरुआत बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र से की जा सकती है। वहां बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध है। टाटा समूह सहित बड़ी टेक कंपनियों से संवाद स्थापित कर लखनऊ को 'एआई सिटी' के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाए। इससे वर्ष 2040 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था, 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और 5 गीगावॉट एआई कंप्यूट कॉरिडोर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रदेश के भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विषयों, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर (यूपीडीसीसी), प्रोजेक्ट गंगा तथा गेहूं के इन-हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि यूपी डाटा सेंटर क्लस्टर प्रदेश को भारत और ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा एआई कंप्यूट पावर सेंटर बनाने की दीर्घकालिक रणनीति है। इससे यूपी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई-टेक डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रस्तुतीकरण में कहा गया कि यह केवल एक परियोजना नहीं बल्कि अगले 50 वर्षों के लिए यूपी की नई आर्थिक संरचना का खाका है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2040 तक दुनिया की नई अर्थव्यवस्था एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे 'फ्यूचर एरेना' के इर्द-गिर्द विकसित होगी, जिनका संयुक्त वैश्विक बाजार 29 से 48 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

मंडी टैक्स व्यवस्था में सुधार करेगी सरकार: मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंडी टैक्स और शुल्क व्यवस्था में सुधार किया जाए। बैठक में समिति ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मिलों द्वारा राज्य के भीतर प्रसंस्करण के लिए खरीदे गए गेहूं पर मंडी शुल्क व विकास उपकर में छूट दी जाए, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों पर यह छूट लागू न हो। मुख्यमंत्री ने बुधवार को गेहूं के इन-हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी विस्तृत समीक्षा की।

पिकअप-कार की भिड़ंत में दो की मौत

अमरोहा

नौगावां सादात (अमरोहा), संवाददाता। मुरादाबाद-बिजनौर मार्ग पर मंगलवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में हरियाणा निवासी 40 वर्षीय कारोबारी समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि कारोबारी की पत्नी व बेटे समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कार से लखनऊ जा रहा था। गांव देहरी खुर्म के पास तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से टक्कर मार दी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया व दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। हादसे का पता चलते ही देर रात एसपी लखन सिंह यादव ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। हरियाणा के यमुना नगर के हुडा सेक्टर 17 निवासी कारोबारी अश्विनी, 37 वर्षीय पत्नी रुचि व 13 वर्षीय बेटे प्रफुल्ल के साथ कार में सवार होकर रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने लखनऊ जा रहे थे। कारोबार के साथ ही वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करते थे। कार यमुना नगर निवासी 38 वर्षीय चालक मंजीत चला रहा था। जैसे ही उनकी कार गांव देहरी खुर्म के पास पहुंची तभी सामने से आई तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दूर तक धमाका सुनाई दिया।

दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त: हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही कुमखिया चौकी पुलिस मौके पर पहुंची।

आदित्य विजन में उमड़ी खरीदारों की भीड़

लखनऊ। प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस सीजन में ग्राहकों का भरोसा पिछले 27 वर्षों से सेवाएं दे रहे आदित्य विजन पर देखा जा रहा है। कंपनी के इस अटूट भरोसे से अब प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने ब्रांड की सर्विस और समर्पण की सराहना की है। आदित्य विजन वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अपने 210 से अधिक स्टोर्स के माध्यम से सेवाएं दे रहा है। एक ही छत के नीचे एलजी, सैमसंग, सोनी, वोल्टास और डैकिन जैसे नामचीन ब्रांड्स के उत्पाद उपलब्ध हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAJKOT
भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट में सीनियर रेजिडेंट्स की भर्ती

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट के विभिन्न विभागों में भारत सरकार की रेजिडेंसी योजना के तहत 88 सीनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) पदों के लिए पात्र और इच्छुक भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08.06.2026 को शाम 4:00 बजे तक है। पूरी जानकारी के लिए कृपया विस्तृत विज्ञापन देखें जो कि संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://www.aiimsrajkot.edu.in/recruitment-new

इस भर्ती से सम्बंधित आगे की समस्त सूचनाएँ जहाँ तक की अंतिम तिथि के विस्तार, यदि हो तो, को सिर्फ संस्थान की वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जायेगी।

ह०/-
संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)
एम्स, राजकोट

सीएसआईआर-केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान)
बरवा रोड, धनबाद (झारखण्ड)

विज्ञापन संख्या: CIMFR-02/2026

सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी प्रमुख अनुसंधान संस्थान, भारतीय नागरिकों से तकनीशियन/ग्रेड-II, लेवल-02 (7वें वेतन आयोग) के निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

पद	पदों की संख्या एवं आरक्षण	7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार वेतनमान	(विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार) ऊपरी आयु सीमा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए
तकनीशियन-1 ग्रुप- II (1)	30 (पीडब्लूबीडी: 02 एवं ईएसएम: 03 सहित) {अनारक्षित: 10, ईडब्लूएस: 05, अ.पि.व.: 02, अ.जा.: 02, अ.ज.जा.: 11, पीडब्लूबीडी: 02 (एक कम सुनने वाले और एक कम दृष्टि के साथ दृष्टिबाधित व्यक्ति) एवं ईएसएम: 03}	लेवल-2 (रु. 19,900-63,200)	28 वर्ष

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **19-06-2026 संध्या 05:00 बजे तक** है। पात्रता शर्तों, आरक्षण की स्थिति और नियम व शर्तों आदि के विवरण के लिए कृपया वेबसाइट www.cimfr.res.in देखें। इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी परिशिष्ट/संशोधन/अधिसूचना केवल हमारी वेबसाइट पर ही पोस्ट की जाएगी।

ह/-
प्रशासन नियंत्रक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट
All India Institute of Medical Sciences, Rajkot, Gujarat 360110
A Central Autonomous Body under PMSSY, MoH&FW
Government of India www.aiimsrajkot.edu.in

No.AIIMS/Rajkot/Admin/Recruitment/Nursing/Faculty/2026-27/2948 Date:09/05/2026

Rolling Advertisement

ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF ASSOCIATE PROFESSOR (READER) IN NURSING, ASSISTANT PROFESSOR/LECTURE IN NURSING & TUTOR/CLINICAL INSTRUCTOR ON REGULAR BASIS FOR THE NURSING COLLEGE OF AIIMS RAJKOT

Sr. No.	Name of the Post	Pay Level	Vacancy
1.	Associate Professor (Reader) in Nursing	Level 12 as per 7th CPC	2(UR)
2.	Associate Professor/Lecturer in Nursing	Level 11 as per 7th CPC	3(UR)
3.	Tutor/Clinical Instructor	Level 10 as per 7th CPC	5(UR), 2(OBC), 1(SC)

Eligibility Criteria for each post is attached for your reference, For Detailed Advertisement and information, applicants may visit Institute's Official Website www.aiimsrajkot.edu.in

सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे : मदनी

जमीयत के अध्यक्ष ने कहा- इससे हिंसा बंद हो जाएगी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गाय को 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि उन्हें खुशी होगी कि गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग और हिंसा की घटनाएं बंद हो जाएंगी।

उन्होंने सवाल किया कि जब देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को केवल पवित्र ही नहीं मानती, बल्कि उसे मां का दर्जा देती है, तो फिर ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने से बच रही है? मदनी ने कहा कि यह मांग केवल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनेक साधु-संत भी लंबे समय से यह मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाय के मुद्दे को एक राजनीतिक और भावनात्मक विषय बना दिया गया है। लगातार झूठ और अफवाहों के जरिए पूरे देश में मुसलमानों की छवि इस तरह खराब कर दी गई है कि समाज का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों को गाय का विरोधी समझने लगा है।

प्रयागराज में उग्र वकीलों ने एसीपी को पीटा

प्रयागराज। मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल स्वरूपरानी नेहरू हॉस्पिटल (एसआरएन) बुधवार को डॉक्टरों और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद रणक्षेत्र में तब्दील हो गया।

सड़क हादसे में घायल महिला अधिवक्ता को इलाज के लिए लेकर पहुंचे वकीलों और जूनियर डॉक्टरों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। बड़ी संख्या में अधिवक्ता अस्पताल पहुंच गए, वहीं जूनियर डॉक्टर भी अस्पताल की चिकित्सकीय सेवा ठप कर लामबंद हो गए।

पापा बचा लो...फोन के आधे घंटे बाद फांसी पर लटकी मिली बेटी

पुष्पेंद्री का फाइल फोटो

हसनपुर (अमरोहा), संवाददाता। गांव बागड़पुर छोइया में शादी के महज तीन माह बाद विवाहिता का शव घर में संदिग्ध हालातों में लटका मिला। मृतका के पिता ने बताया कि मंगलवार शाम साढ़े छह बजे बेटी ने फोन कर रोते हुए गुहार लगाई थी, पापा मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे.... पिता ने बुधवार सुबह आने की बात कहकर उसे ढांढस बंधाया, लेकिन करीब आधे घंटे बाद ही उन्हें बेटी की मौत की खबर मिल गई।

मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए मौके पर भारी हंगामा किया। गजरौला के खुंगावली निवासी बलबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने बीती 13 फरवरी को बेटी पुष्पेंद्री की शादी बागड़पुर छोइया निवासी ओमपाल सिंह से की थी।

विवाहिता के शरीर पर कई जगह मिले पिटाई के निशान

हसनपुर। बुधवार को पुष्पेंद्री के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर पर जगह-जगह पिटाई के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों का मानना है कि पुष्पेंद्री को बुरी तरह पीटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताया गया है।

कस्टडी में प्रताड़ना पर हाईकोर्ट सख्त

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की अवैध हिरासत, पुलिस प्रताड़ना और थाने के सीसीटीवी फुटेज गायब होने को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने महोबा के पुलिस अधीक्षक, कोतवाली महोबा के प्रभारी निरीक्षक और महिला थाना की एसएचओ को 25 मई को सीसीटीवी फुटेज के साथ व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने महोबा की आशा रैकवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

महोबा कोतवाली थाने में दर्ज हत्या के मामले के तथ्यों के अनुसार याची आशा रैकवार मृतक के घर पर काम करने वाली बाई है। उसे इस मामले में सह अभियुक्त बनाया गया है। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता भास्कर भद्र ने कोर्ट को बताया कि याची प्राथमिकी में नामजद नहीं थी। पुलिस ने उसे और उसके बेटे को 25 फरवरी की रात हिरासत में ले लिया था और गिरफ्तारी एक मार्च को दिखाई गई।

रजा लाइब्रेरी : पांडुलिपियों का सऊदी से आदान-प्रदान होगा

रामपुर। भारत और सऊदी अरब के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को और ऊंचाई देने के लिए अब रामपुर रजा लाइब्रेरी तथा राष्ट्रीय संग्रहालय रियाद के बीच अरबी भाषा की पांडुलिपियों का आदान-प्रदान होगा। बुधवार को दोनों के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। रामपुर रजा पुस्तकालय में भारतीय दूतावास, सऊदी अरब के समन्वय से राष्ट्रीय संग्रहालय, रियाद एवं रामपुर रजा पुस्तकालय के मध्य पुस्तकालय में संरक्षित अरबी भाषा की पांडुलिपियों एवं कैलीग्राफी की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, सेमिनार, अनुवाद एवं शोध से संबंधित विषयों पर बैठक हुई।

भाजपा राज में आरक्षित पदों की लूट: अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में 22 भर्तियों में आरक्षित वर्ग के 11514 पदों की लूट हुई है। उन्होंने बुधवार को पत्रकारों के सामने पीडीए ऑडिट अंक-एक जारी किया। इसे पीडीए आरक्षण घोटाला नाम दिया गया है। उन्होंने ब्योरा पेश करते हुए कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 23.14% और एससी 4.8% कम आरक्षण दिया गया।

मुरादाबाद विकास विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
सार्वजनिक खुली नीलामी

प्राधिकरण की आशियाना आवास योजना में स्थित डा० भीम राव अम्बेडकर नेचर पार्क में आम फसली वर्ष 2026 की नीलामी दिनांक 23.05.2026 को प्रात: 11:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय के सभाकक्ष में खुली बोली के माध्यम से की जायेगी। नीलामी में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक व्यक्ति / फर्म प्राधिकरण कार्यालय स्थित केनरा बैंक शाखा में रुपये 1,000/- जमा कर आवेदन पत्र / विवरण पुस्तिका सम्पत्ति अनुभाग से प्राप्त कर सकते है।

नियम व शर्तें :-

1- इच्छुक व्यक्ति/आवेदनकर्ता नीलामी में बोली हेतु धरोहर धनराशि रुपये 90,000/- का बैंक ड्राफ्ट, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के नाम एवं पूर्ण आवेदन पत्र नीलामी की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व दिनांक 22.05.2026 तक कार्यालय अवधि में सम्पत्ति अनुभाग में जमा कर टोकन प्राप्त करते हुए नीलामी में प्रतिभाग कर सकते है।

2- शेष नियम व शर्तें आवेदन पत्र / विवरणिका फॉर्म में उल्लेखित है तथा प्राधिकरण की वेब साईट www.mdamoradabad.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।

प्रभारी सम्पत्ति, मु०वि०प्रा०

pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon ! Oriental United

सर्किल ऑफिस: रामगंगा विहार निकट सेल टैक्स ऑफिस, मुरादाबाद

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) का परंतुक) के अधीन अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जैसाकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत, प्राधिकृत अधिकारी ने कर्जदारों/गारंटीदाताओं/बंधककर्ताओं (इसमें कर्जदारों के रूप में निर्दिष्ट) से वसूली हेतु मांग सूचना जारी की है। इसके अलावा, ''वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002'' में निर्दिष्ट अधिकारों के अनुपालन में, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रदान की गई ऋण/उधार सुविधाओं के संबंध में प्रतिभूतियों के रूप में धारित निम्नांकित आस्तियों का कब्जा ले लिया है। जैसाकि पंजाब नैशनल बैंक के बकाया प्रतिभूत ऋणों के वसूली हेतु सार्वजनिक ई-नीलामी के जरिए प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की जानी है। जनसाधारण को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिवत प्राधिकृत एजेंट द्वारा बोली देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय- 23.06.2026 को पूर्वा. 11 बजे से सायं 4.00 बजे तक | **ईएमडी जमा की अंतिम तिथि - नीलामी के पहले**

क्र. सं.	खाता/कर्जदार/गारंटीदाता/ बंधककर्ता का नाम एवं शाखा का नाम	सम्पत्तियों (चल/अचल) के विवरण/स्वामी का नाम	धारा 13(2) के अधीन जारी सूचना की तिथि 13(2) के अनुसार बकाया रकम (लाख में) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (लाख में) धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि
1.	आमिल एंटरप्राइजेज शाखा : खरसौल	"मोहम्मद अनीस और मोहम्मद युसुफ रशीद पुत्र अब्दुल रशीद के नाम पर निम्न स्थित संपत्ति का सभी भाग एवं अंग: गांव मधुपुर तहसील शाहबाद जिला-रामपुर, यूपी, बही नंबर-1, जिल्द नंबर-1246, पृष्ठ नं.-85 से 124, क्रम सं.-1575, दिनांक-21.05.2008 में पंजीकृत, कुल क्षेत्रफल-230.74 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व: अराजी-काश्त विक्रेता, पश्चिम: अराजी- काश्त अतर सिंह 1 बीघा, उत्तर: अराजी काश्त बुंदू खान 3 बीघा, दक्षिण: शाहबाद-बिलारी रोड"	28.10.2025 18.71 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 49.6 लाख रु. 4.96 लाख 25000
2.	अकरम मलिक पुत्र असगर अली शाखा: बिलारी	"दिलवारी पत्नी असगर हुसैन के नाम पर गाटा सं. 562 धारित निम्न स्थित संपत्ति का सभी भाग एवं अंग: गांव भिवाड़ी, तहसील-बिलारी और जिला-मुरादाबाद, बही नंबर-1, जिल्द नंबर-1382, पृष्ठ सं. 1 से 20, क्रम सं. 4190, दिनांक 07.10.2004 में पंजीकृत, कुल क्षेत्रफल-650 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व: संपत्ति शेरबानो व सोमपाल और अन्य, पश्चिम: गांव भुडा की सीमा, उत्तर- गवर्नमेंट रोड, दक्षिण: गांव भुडा की सीमा और प्लॉट सोमपाल"	01.05.2025 3.36 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 22.95 लाख रु. 2.3 लाख 25000
3.	अरूण कुमार शाखा: धनौरा	"श्री अरूण कुमार पुत्र श्री जयदेव के नाम पर आवासीय संपत्ति का ईएम, खसरा नंबर-1031/2 का पार्ट, मोहल्ला गांधी नगर "बी", रेलवे क्रॉसिंग के बाद, तहसील धनौरा, जिला अमरोहा (यूपी) में स्थित, क्षेत्रफल 84.44 वर्गमीटर, बही नंबर: 1, जिल्द नंबर: 9070, पृष्ठ: 195-208, क्र.सं.: 8683, दिनांक 04.06.2024, परिसीमा: उत्तर-शारदा का प्लॉट, दक्षिण: रास्ता 12 फीट चौड़ा, पूर्व: रास्ता 14 फीट चौड़ा, पश्चिम: अशोक का प्लॉट"	12.01.2026 10.74 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 11.72 लाख रु. 1.18 लाख 25000
4.	लीला देवी शाखा: रामपुर रोड	"लीला देवी पत्नी वीर सिंह के नाम पर धारित संपत्ति का सभी भाग एवं अंग, अंबेडकर नगर, लाकड़ी फजलपुर, जिला-मुरादाबाद में स्थित, बही नंबर-1, जिल्द नंबर-17513, पेज नं.-117 से 130, क्रम सं. 23326, दिनांक-02.02.2021 में पंजीकृत, कुल क्षेत्रफल- 66.52 वर्ग मीटर, परिसीमा: पूर्व: प्रा. प्लॉट नं. 04, पश्चिम: वीरपाल का प्रा. मकान नं. 04, उत्तर: राम खिलवान का प्राइवेट प्लॉट नं. 3, दक्षिण: 15 फीट चौड़ा रास्ता	20.12.2025 9.05 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 20.6 लाख रु. 2.06 लाख 25000
5.	निशांत भटनागर शाखा: कांठ रोड	"श्री अशोक कुमार भटनागर पुत्र श्री संत कुमार के नाम पर निम्न स्थित आवासीय संपत्ति: एलआईजी ड्वेलिंग हाउस नं. : जे-01, नवीन नगर योजना, कांठ रोड, मुरादाबाद (यूपी), क्षेत्रफल: 50.120 वर्ग मीटर, बही नंबर: 1, जिल्द नंबर: 4239, पृष्ठ: 55-68, क्र.सं.: 4050, दिनांक 29.03.2003, एसआरओ-II, मुरादाबाद में पंजीकृत, परिसीमा: उत्तर: हाउस नं. जे-02, दक्षिण: सड़क 9 मीटर चौड़ी, पूर्व: सड़क 9 मीटर चौड़ी, पश्चिम: हाउस नं. जे-30"	07.12.2024 3.28 + ब्याज एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 58.18 लाख रु. 5.82 लाख 50000
6.	रिंकू शाखा: केयूएमएस	रिंकू पुत्र स्व. सतेंद्र सिंह के नाम पर निम्न स्थित संपत्ति का सभी भाग एवं अंग: खसरा नं. 227 का पार्ट, माँ भगवती कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट सेंटर एंड घरी जनरल स्टोर के पास, गाँव डक्का, तहसील और जिला-मुरादाबाद (यूपी), उप निबंधक कार्यालय सदर प्रथम मुरादाबाद में बही नं.-1, जिल्द नं.-19272, पृष्ठ सं.-169 से 180, क्रम संख्या-2547, दिनांक-13.02.2024 में पंजीकृत, कुल क्षेत्रफल 70.25 वर्गमीटर, परिसीमा: पूर्व: रास्ता 10 फीट चौड़ा, पश्चिम: प्लॉट दीगर शख्स पिछला अराजी रामचंद्र वाली, उत्तर: संजीव का घर, दक्षिण: राजू का घर।	10.02.2026 9.89 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 16.72 लाख रु. 1.68 लाख 25000
7.	कमल शर्मा शाखा: केयूएमएस	"अंजु शर्मा पत्नी कमल शर्मा के नाम पर निम्न स्थित संपत्ति का सभी भाग एवं अंग: मौजा डक्का तहसील और जिला-मुरादाबाद, यूपी में गाटा नंबर-229 का पार्ट, बही नं.-1, जिल्द नं.-14387, पेज नं. 155/170, क्र.सं. 5035, दिनांक-24.04.2023 में उप निबंधक कार्यालय, सदर द्वितीय मुरादाबाद में पंजीकृत, कुल क्षेत्रफल- 35.13 वर्गमीटर। परिसीमा- पूर्व: प्लॉट गीता शर्मा, पश्चिम: बृजेश आदि का प्लॉट, उत्तर: रास्ता 8 फीट चौड़ा, दक्षिण: प्लॉट दीगर शख्स"	10.02.2026 रु. 9.35 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 11.5 लाख रु. 1.15 लाख 25000
8.	अतीक शाखा: केयूएमएस	"अतीक पुत्र अब्दुल लतीफ के नाम पर गांव मऊ, नौ गजे की जायरत हरथला सोनकपुर हिमगिरी, तहसील और जिला-मुरादाबाद में स्थित संपत्ति का सभी भाग एवं अंग, उप निबंधक कार्यालय सदर द्वितीय, मुरादाबाद में पंजीकृत, बही नं.- 1, जिल्द नं.-14687, पृष्ठ 309 से 324, क्रम सं.-13131 दिनांक 09.10.2023, कुल क्षेत्रफल-41.18 वर्गमीटर, परिसीमा: पूर्व: भूरे की संपत्ति, पश्चिम: निजाम की संपत्ति, उत्तर: रास्ता 6 फीट 7 इंच चौड़ा, दक्षिण: दीगर सख्स की संपत्ति"	10.02.2026 4.78 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 8.4 लाख रु. 0.84 लाख 10000
9.	राहुल पांडेय शाखा: केयूएमएस	"राहुल पांडेय पुत्र मनोज पांडेय के नाम पर गेट नं. 2268 मौजा पैपतपुरा लाकड़ी फाजलपुर, तहसील और जिला-मुरादाबाद में स्थित संपत्ति का सभी भाग एवं अंग, बही नंबर-1, जिल्द नं.-14772, पृष्ठ सं.-265 से 278, क्रम सं. 15453, दिनांक-02.12.2023 में पंजीकृत, कुल क्षेत्रफल-38.894 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व: प्लॉट मूर्ति, पश्चिम: प्लॉट सुमन, उत्तर: रास्ता 12.00 फीट चौड़ा, दक्षिण: अन्य व्यक्ति का भाग"	02.12.2025 9.58 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 8.76 लाख रु. 0.88 लाख 10000
10	रमाकंत शाखा: केयूएमएस	"रमाकांत पुत्र श्री नंद किशोर और श्रीमती मधु पत्नी रमाकांत अग्निहोत्री के नाम पर निम्न स्थित संपत्ति का सभी भाग एवं अंग: खसरा नं.-838/1 लाकड़ी फजलपुर, तहसील और जिला-मुरादाबाद (यूपी), बही नंबर-1, जिल्द नं.-17702, पृष्ठ-57 से 70, क्रम सं. 3681, दिनांक 17.02.2022 में पंजीकृत, रेजिडेंटल प्लॉट एरिया-105.39 वर्गमीटर।	20.01.2026 9.85 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 20.16 लाख रु. 2.02 लाख 25000
11	सुमन शाखा: केयूएमएस	"सुमन पत्नी मनोज पांडेय के नाम पर निम्न स्थित संपत्ति का सभी भाग एवं अंग: राजस्व गांव लाकड़ी फाजलपुर दक्षिणी तहसील और जिला-मुरादाबाद (यूपी), बही नं.-1, जिल्द नं.-18030, पृष्ठ-249 से 262, क्रम सं. 14040, दिनांक-29.06.2022 में पंजीकृत, कुल क्षेत्रफल- 31.61 वर्ग मीटर। परिसीमा- पूर्व: प्लॉट विक्रेता, पश्चिम: मकान राजपाल सिंह, उत्तर: रास्ता 12.00 फीट चौड़ा, दक्षिण: सम्पत्ती दीगर सख्स।	02.12.2025 9.84 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार सांकेतिक	रु. 7.48 लाख रु. 0.75 लाख 10000

कृपया इसे सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन 30 दिवसीय सांविधिक नोटिस पढ़ें

ई-नीलामी ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जैसा है जो है आधार'' के आधार पर की जा रही है और इसे "ऑनलाइन" आयोजित किया जाएगा। नीलामी बैंक के अनुमोदित वेब पोर्टल https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com, संपर्क नंबर +91 8291220220 के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन ई-नीलामी, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम और शर्तें ई-नीलामी वेब पोर्टल https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com, संपर्क नंबर +91 8291220220 पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकार/बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व न तो गठित करता है और न ही ऐसा इरादा रखता है। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भार के साथ बेची जा रही है, चाहे वह बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तरह से तीसरे पक्ष के दावे/अधिकारों/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्तें https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com, संपर्क नंबर +91 8291220220 पर प्रकाशित किए गए हैं। उच्चतम बोली लगाने वाले को संबंधित ईएमडी खाता में बोली/बिक्री राशि का 25% तत्काल (यानी उसी दिन या अगले कार्यदिवस के बाद नहीं) जमा करना होगा। जमा धरोहर राशि उसी 25% में समायोजित कर ली जाएगी। यदि निर्धारित समय के भीतर 25% राशि जमा नहीं की जाती है, तो जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी को बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष 75% जमा करना होगा। यदि निर्धारित समय के भीतर 75% राशि जमा नहीं की जाती है, तो 25% भी जब्त कर ली जाएगी और प्रतिभागी का संपत्ति पर कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - सर्किल कार्यालय, मुरादाबाद, श्री राजीव सिन्हा: 7044481471

दिनांक: 20.05.2026 स्थान: मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

Scanned with OKEN Scanner